राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 11540/2017

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
सुशील कुमार मीणा ग्राम पोस्ट गुहाला, तहसील नीमकाथाना सीकर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक निदेशक - शिक्षा सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग, जी. 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन फाटक जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 07-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री योगेश शर्मा, सहायक निदेशक (शिक्षा) उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 18-2-17 के द्वारा "अगर ऐसा कोई आदेश/ नियम उपलब्ध हो जो राज्य के बाहरी नर्सिग संस्थानों से ए.एन.एम., नर्सिगं कोर्स करने वाली एस.सी./एस.टी. वर्ग की छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति हेतु अयोग्य साबित करता हो" तो उसकी प्रति चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को प्रेषित पत्र दिनांक 6-3-18 प्रस्तुत किया जिसे अभिलेख पर लिया गया। यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 24-4-17 एवं पुनः पत्र दिनांक 27-4-17 के द्वारा संसूचित कर दिया गया था कि एस.सी./एस.टी. वर्ग की उत्तर मैट्रिक छात्रवृति से संबंधित समस्त जानकारी/ दिशा निर्देश विभागीय वेबसाईट sje.rajasthan.gov.in एवं मत्रांलय भारत सरकार की वेबसाईट पर उपलब्ध है अतः संबंधित सूचना वेबसाईट से प्राप्त की जा सकती है। फिर भी अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील प्रस्तुत कर उनके द्वारा सूचना के आवेदन में उठाये गये प्रश्नों का उत्तर चाहा गया है। अपीलार्थी की सुविधा के लिय पुनः पत्र दिनांक 6-3-18 से अपीलार्थी को संसूचित कर दिया गया कि चाही गई सूचना के संबंध में इस प्रकार का कोई आदेश/नियम विभाग में उपलब्ध नहीं है जो राज्य के बाहरी नर्सिगं सस्थानों से ए.एन.एम. नर्सिगं कोर्स वाली एस.सी./एस.टी. वर्ग की छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति के लिए अयोग्य साबित करता हो।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के क्रम में पुनः अपीलार्थी को पत्र दिनांक 6-3-18 प्रेषित कर संसूचित किया जिसकी प्रति आयोग को भी पृष्ठांकित की, से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को उनके द्वारा उठाये गये प्रश्नों का प्रत्युत्तर भी अपीलार्थी को स्पष्ट एवं सटीक रूप से प्रेषित कर दिया गया है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक है। सूचना वही दी जा सकती है जो कि अभिलेख पर उपलब्ध हो। राज्य लोक सूचना अधिकारी से, ऐसी सूचना की वांछना नहीं की जा सकती जिसका उत्तर अभिलेख पर अंकित नहीं है या किन्ही नियमों की व्याख्या करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। फिर भी प्रत्यर्थी द्वारा पूर्व प्रेषित विनिश्चय दिनांक 27-4-17 के उपरान्त भी स्पष्ट एवं सटीक सूचना का प्रेषण कर दिया गया है। हस्तगत अपील बलहीन है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त